न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/156

प्रकरण संख्या 95/22

अनवान

1. श्री लक्ष्मीलाल पिता भेरूलाल गर्ग निवासी बेजरड़ा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

—: : निर्णय : :— **दिनांक :—27.09.2022**

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा बेजरडा पटवार हल्का सारंगपुरा (भीण्डर) तहसील कानोड की जमाबंदी संवत् 2068–71 में प्रार्थी के खातेदारी की आराजी नम्बर 16/2, 16/3, 17/1 किता 3 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा दर्ज है। नवीन सेटलमेंट में प्रार्थी का रकबा कम हो जाने से उसे दुरस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार कानोड द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :—

I. यह की राजस्व ग्राम बेजरडा तहसील कानोड के नामन्तरण संख्या 303 सहमति विभाजन से (1) भगवतीलाल पिता भेरूलाल गर्ग सा. भरडीया के नाम आराजी नम्बर 15 मी. 16/1क कुल किता 2 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा यानि 0.96 हैक्टेयर भूमि (2) लक्ष्मीलाल पिता भेरूलाल गर्ग सा. भरडीया के नाम 16/1ख, 16/2, 17/1 कुल किता 3 रकबा 4–09 बीघा यानि 0.96 हैक्टेयर भूमि (3) रामेश्वरलाल पिता कजोडमल गर्ग सा. भरडीया के नाम आराजी नम्बर 17/2, 18 कुल किता 2 रकबा 4–09 बीघा यानि 0.96 हैक्टेयर भूमि एवं सामलाति में (4) [illegible] /3 भगवतीलाल पिता भेरूलाल 1/3 रामेश्वरलाल पिता कजोडमल 1/3 ग[illegible] सा. [illegible]डीया के नाम आराजी नम्बर 15/1, 15/2 कुल किता 2 रकबा 0–06 बीघा यानि 0.[illegible] हैक्टेयर भूमि नाम दर्ज [illegible] हुई।

II. यह कि भू–प्रबंधन के बाद नवीन राजस्व रेकर्ड [illegible]गवतीलाल पिता भेरूल[illegible] के नाम आराजी नम्बर 102, 104 किता 2 रकबा 0.96 हैक्टेयर, लक्ष्मीलाल पिता भेरूलाल गर्ग के नाम आराजी नम्बर 101, 945/99, 946/100, 947/102 किता 4 रकबा 0.92 हैक्टेयर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:59:27 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner

रामेश्वरलाल पिता कजोडमल गर्ग के नाम आराजी नम्बर 100, 944/98, 98, 99 किता 4 रकबा 0.99 हैक्टेयर भूमि के नाम दर्ज हुई।

III. यह की उपरोक्त खाते अनुसार भगवतीलाल पिता भेरूलाल गर्ग के नाम 0.96 हैक्टेयर, लक्ष्मीलाल पिता भेरूलाल गर्ग के नाम 0.92 हैक्टेयर रामेश्वर पिता कजोडमल गर्ग के नाम 0.99 हैक्टेयर भूमि दर्ज रेकर्ड हुई जिससे लक्ष्मीलाल पिता भेरूलाल गर्ग एवं रामेश्वरलाल पिता कजोडमल गर्ग के हिस्से में 0.07 हैक्टेयर भूमि का अंतर है। पुर्व रेकर्ड अनुसार भूमि बराबर करने हेतु रामेश्वरलाल पिता कजोडमल गर्ग की आराजी नम्बर 100 रकबा 0.32 में से 0.0200 हैक्टेयर व आराजी नंबर 99 में से 0.0150 हैक्टेयर कुल रकबा 0.0350 हैक्टेयर भूमि लक्ष्मीलाल पिता भेरूलाल गर्ग के नाम दर्ज किये जाने की अनुशंषा की ।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी की बहस सुनी। बहस में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी के कथनानुसार ग्राम बेजरडा पटवार हल्का सारंगपुरा (भीण्डर) तहसील कानोड की जमाबंदी संवत् 2068–71 की आराजी नम्बर 16/2, 16/3, 17/1 किता 3 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा दर्ज है। नवीन सेटलमेंट के बाद जमाबंदी संवत् 2078 से स्थाई की आराजी नम्बर 101, 945/99, 946/100, 947/102 किता 4 रकबा 0.9200 हैक्टेयर दर्ज है। सेटलमेंट के बाद रकबे में परिर्वतन होने से उसे शुद्ध किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार कानोड की रिपोर्ट के अध्ययन से यह पाया कि नामन्तरण संख्या 303 सहमति विभाजन से भगवतीलाल पिता भेरूलाल गर्ग सा. भरडीया के नाम किता 2 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा यानि 0.96 हैक्टेयर भूमि, लक्ष्मीलाल पिता भेरूलाल गर्ग सा. भरडीया के नाम किता 3 रकबा 4–09 बीघा यानि 0.96 हैक्टेयर भूमि, रामेश्वरलाल पिता कजोडमल गर्ग सा. भरडीया के नाम किता 2 रकबा 4–09 बीघा यानि 0.96 हैक्टेयर भूमि एवं सामलाति में लक्ष्मीलाल पिता भेरूलाल 1/3 भगवतीलाल पिता भेरूलाल 1/3 रामेश्वरलाल पिता कजोडमल 1/3 गर्ग सा. भरडीया के किता 2 रकबा 0–06 बीघा यानि 0.06 हैक्टेयर भूमि नाम दर्ज रेकर्ड हुई। नवीन सेटलमेंट के बाद राजस्व रेकर्ड में भगवतीलाल पिता भेरूलाल गर्ग के नाम आराजी नम्बर 102, 104 किता 2 रकबा 0.96 हैक्टेयर, लक्ष्मीलाल पिता भेरूलाल गर्ग के नाम आराजी नम्बर 101, 945/99, 946/100, 947/102 किता 4 रकबा 0. 92 हैक्टेयर, रामेश्वरलाल पिता कजोडमल गर्ग के नाम आराजी नम्बर 100, 944/98, 98, 99 किता 4 रकबा 0.99 हैक्टेयर भूमि दर्ज हुई। जिससे नवीन सेटलमेंट के बाद रामेश्वर लाल पिता कजोडमल गर्ग के नाम 0.96 हैक्टेयर भूमि के बजाय 0.99 हैक्टेयर भूमि दर्ज हो गई व लक्ष्मीलाल पिता भेरूलाल गर्ग के नाम 0.96 हैक्टेयर के बजाय 0.92 हैक्टेयर भूमि दर्ज हो गई। उक्त दोनो खातेदारों की भूमि में 0.07 हैक्टेयर भूमि का अंतर है। प्रकरण में तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:59:27 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner

कानोड द्वारा उपरोक्त तीनो खातेदारों की भूमि को राजस्व रेकर्ड अनुसार बराबर करनें के लिए रामेश्वरलाल पिता कजोडमल गर्ग की आराजी नम्बर 100 रकबा 0.32 हैक्टेयर में से 0.0200 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 99 रकबा 0.2900 हैक्टेयर में से 0.0150 हैक्टेयर भूमि लक्ष्मीलाल पिता भेरूलाल गर्ग सा. भरडीया के नाम दर्ज किये जाना प्रस्तावति किया। पत्रावली व रिपोर्ट के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि उक्त त्रुटि सेटलमेंट के दोरान हुई है। प्रकरण में माननीय जिला कलक्टर महोदय द्वारा समस्त न्यायिक (राजस्व) अधिकारियों को भू–प्रबन्धन विभाग द्वारा की गई त्रुटियों को राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार व माननीय राजस्व मण्डल के अपील/एल.आर./6933/2011/उदयपुर में दिये गये निर्णय एवं राजस्व ग्रुप–6 विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रंमाक प.(12) राज.16/92/26 दिनांक 20.12.1995 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि सेंटलमेंट के दौरान हुई त्रुटियों को सुधारा जाना आवश्यक है।

4. अतः उपरोक्त विवेचन, तहसीलदार कानोड की रिपोर्ट व अनुशंषा एवं दस्तावेज के आधार पर यह पाया गया की नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थी के रकबे में परिर्वतन हो गया है जो सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई त्रुटि है जिसे न्यायहित में सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा बेजरड़ा पटवार हल्का सारंगपुरा (भीण्डर) तहसील कानोड की जमाबंदी संवत् 2078 से स्थाई खाता संख्या नया 136 की आराजी नम्बर 100 रकबा 0.3200 हैक्टेयर में से 0.0200 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 99 रकबा 0.2900 हैक्टेयर भूमि मे से 0.0150 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी लक्ष्मीलाल पिता भेरूलाल गर्ग सा. भरडीया के नाम दर्ज किये जाने व प्रस्तावित नक्शा ट्रेस "C" अनुसार तरमीम किये [illegible] आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जावें। पत्रावली फैसल [illegible] होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले ईजलास आज दिनांक 27.09.2022 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:59:27 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner